



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265695
CG-DL-E-26082025-265695

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3794]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947

No. 3794]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 3899(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मेघालय राज्य के साउथ गारो हिल्स जिले में NH-217 के कि.मी. 72.35 से कि.मी. 198.8 (दारुग्रे से करोंग्रे सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण "पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन", अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डैप्यटी कमिशनर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मेघालय राज्य के साउथ गारो हिल्स जिले में एनएच-217 के कि.मी. 72.35 से कि.मी. 198.80 (दारुग्रे से करोंग्रे सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मेघालय			जिले का नाम: साउथ गारो हिल्स		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बाघमारा सी & आरडी ब्लॉक					
गांव का नाम: रोंगडोंग					
1	Rongdong/RDR15A	निजी	हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट	0.1916798 (हेक्टेयर)	0.19168
गांव का नाम: बदरि रोंगडोंग					
2	Badri Rongdong/BRR20A	निजी	हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट	0.2776166 (हेक्टेयर)	0.277617
गांव का नाम: रोंगचेकग्रे					
3	Rongchekgre/RGR13A	निजी	एग्रीकल्चर	0.1387323 (हेक्टेयर)	0.138732
गांव का नाम: बोलसालग्रे					
4	Bolsalgre/BGR13	निजी	रेसिडेंशियल, फॉरेस्ट	0.0190538 (हेक्टेयर)	0.0190538
तालुक का नाम: गसुअपारा सी & आरडी ब्लॉक					
गांव का नाम: चेरेंगपारा					
5	Cherengpara/CPL21A	निजी	हॉर्टिकल्चर, रेसिडेंशियल	0.0428901 (हेक्टेयर)	0.0428901
Total					0.6699729

[फा. सं. NH-12012/06/2022/MG/Zone-V/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 3899(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building "Upgradation to 2 laning with paved shoulders" maintenance, management and operation of NH-217 in the stretch of land from Km. 72.35 to Km. 198.80 (Darugre to Karonggre Section) in the district of South Garo Hills in the state of MEGHALAYA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 72.35 to Km. 198.80 (Daruggre to Karonggre Section) of the National Highways No-217 in the state of MEGHALAYA

State: MEGHALAYA			District: South Garo Hills		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Baghmara C & RD Block					
Village: Rongdong					
1	Rongdong/RDR15A	Private	Horticulture, Forest	0.1916798 (Hectare)	0.19168
Village: Badri Rongdong					
2	Badri Rongdong/BRR20A	Private	Horticulture, Forest	0.2776166 (Hectare)	0.277617
Village: Rongchekgre					
3	Rongchekgre/RGR13A	Private	Agriculture	0.1387323 (Hectare)	0.138732
Village: Bolsalgre					
4	Bolsalgre/BGR13	Private	Residential, Forest	0.0190538 (Hectare)	0.0190538
Taluk: Gasuapara C & RD Block					
Village: Cherengpara					
5	Cherengpara/CPL21A	Private	Horticulture, Residential	0.0428901 (Hectare)	0.0428901
Total					0.6699729

[F. No. NH-12012/06/2022/MG/Zone-V/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director